

अज अदालत अपर जिला कलक्टर मुकाम सीकर

नाथू

बनाम

तहसीलदार

किस्म मुकदमा:- अपील/प्रार्थना-पत्र

मु0न0 48 /2018

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स	नम्बर वतारीख अहकामजो इस हुकमकी तामील में जारी हुए
23.07.2018	<p>प्रार्थी की ओर से वकील श्री सांवरमल चौधरी उपस्थित।</p> <p>प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र स्थगन बाबत न्यायालय तहसीलदार खण्डेला के प्रकरण संख्या 124/2018 अनुवानी सरकार बनाम नाथू में पारित निर्णय दिनांक 16.07.2018 की कियान्विति स्थगित रखी जाने हेतु पेश किया है।</p> <p>प्रार्थी की बहस प्रार्थना पत्र स्थगन सुनी गई एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। वकील प्रार्थी की बहस एवं प्रस्तुत दस्तावेजात से सहमत होने पर अप्रार्थी को जरिये अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जाता है कि न्यायालय तहसीलदार खण्डेला के प्रकरण संख्या 124/2018 अनुवानी सरकार बनाम नाथू में पारित आदेश दिनांक 16.07.2018 की आगामी तारीख पेशी 08.08.2018 तक कियान्विति स्थगित रखी जावे।</p> <p>आदेश एवं नोटिस जारी होकर पत्रावली दिनांक 08.08.2018 को पेश हो।</p> <p style="text-align: center;">23/7/18</p> <p style="text-align: center;">अति. जिला कलक्टर, सीकर</p>	
01/01/18	पत्रावली पेश हुई। कियान्विति से बंधन कार्रगार स्थगित कर रखा है वहुमम साबित पत्रावली दि. 01/01/18 को पेश होगी	
21/01/18	वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी को जारी नोटिस पर विद्यमान तामिल आवण्ड अनुपस्थित। पूरा पत्रावली के साथ दि. 21/01/18 को पेश होगी	
15/11/18	निर्धारित तिथि के मंत्रालयिक कार्रगारी साबित अवकाश पर होने से पत्रावली आज पेशी में ली गई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पूरा पत्रावली	

17/1/19 वकील प्रार्थी उपास्थित। मूल पत्रावली के साथ
दि. 20/1/19 को चेका को।

20/1/19 वकील प्रार्थी उपास्थित। प्रार्थना-पत्र से संबंधित
मूल कपील का विस्तारण के पुरा के कस
प्रार्थना-पत्र में कोई कार्रवाही क्रियोजित नहीं
है अतः प्रार्थना-पत्र स्वगत इसी स्तर पर
स्थिर किना जाता है यत्रावली फंडल सुमार
दोहर बाद तकतिल मूल कपील के संलग्न रहे।